



2026:AHC:201103

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 172/2026

किरण सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप-निदेशक चकबंदी और 21 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शशि कांत उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., संजय कुमार

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी संख्या 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/4 और 16 के विद्वान अधिवक्ता, तथा राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा सूची पर रखे अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आवाहन उप निदेशक चकबंदी द्वारा पुनरीक्षण (वाद) संख्या 0440/2024 में दिनांक 19.11.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए किया है, जिसके द्वारा चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा अपील (वाद) संख्या 0001/2021 में दिनांक 18.01.2024 को पारित उस आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसके द्वारा मामले को चकबंदी अधिकारी को यह निदेश देते हुए प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे मृत पक्षकारों के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने के पश्चात और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले का नए सिरे से विनिश्चित करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने मामले को प्रतिप्रेषित करते समय याचिकाकर्ता के अधिकार, स्वत्व और हित के संबंध में गुण-दोष पर कतिपय टिप्पणियाँ की हैं, जो चकबंदी अधिकारी के समक्ष उसके हित को पूर्वाग्रहित कर सकती हैं।

4. इसके विपरीत, निजी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रतिवादित किया है कि अंतिम अवलोकन में, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने केवल मामले को चकबंदी अधिकारी को मृत पक्षकारों के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया है और उप निदेशक चकबंदी ने इसकी पुष्टि की है; इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को अभी भी चकबंदी अधिकारी के समक्ष विवाद का प्रतिवाद करने और अपने मामले का बचाव करने का अवसर है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और अभिलेख के परिशीलन पर, यह प्रकट होता है कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने अपने प्रतिप्रेषण आदेश के समर्थन में दो आधारों पर अवलोकन किया; प्रथमतः, कि चकबंदी अधिकारी ने पक्षकारों के अंशों का विनिश्चय करते समय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उचित रूप से अधिमूल्यांकन नहीं किया था; और द्वितीयतः, कि मृत व्यक्तियों अर्थात् रामजीत पुत्र रघुनंदन, बनवारी पुत्र जदू, फौजदार पुत्र धूप, सुगिया पुत्री शिवधारी और बट्टी पुत्र रघुनंदन के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया था और उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। उप निदेशक चकबंदी ने, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, अपने अंतिम प्रस्तर में यह अवलोकित किया कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था और विधिक त्रुटि को सुधारने और मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए पक्षकारों को अवर न्यायालय के समक्ष पुनः भेजा था। उन्होंने आगे यह अवलोकित किया कि सभी पक्षकारों को सुने जाने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अभी भी खुला है; इसलिए अपीलीय न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने दिनांक 18.01.2024 का आदेश पारित करते समय कोई अंतिम निष्कर्ष या अवलोकन नहीं किया कि ललिता देवी (वर्तमान याचिकाकर्ता की विक्रेता) के अधिकार और स्वत्व के संबंध में उनका दृष्टिकोण पक्षकारों के बीच अंतिम हो गया है। उन्होंने केवल मामले को चकबंदी अधिकारी के समक्ष समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया है। उप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निदेशक चकबंदी ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई संशोधन, परिवर्तन या उलटफेर किए बिना केवल उसकी पुष्टि की है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जैसा कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया, कि वर्तमान याचिकाकर्ता चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील की लंबितता के दौरान *वादकालीन* अंतरिती है। उसने ललिता देवी से, जो दोमा की पत्नी थीं, विवादित संपत्ति का आंशिक क्षेत्रफल खरीदा है। याचिकाकर्ता ने अपनी विक्रेत्री ललिता देवी के साथ मिलकर उप निदेशक चकबंदी के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 19.11.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया है। यह कहना अनावश्यक है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अपनी विक्रेत्री के स्थान पर है और प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में उसने जो अधिकार अर्जित किए हैं वे अधिक से अधिक केवल उसकी विक्रेत्री के अधिकारों तक ही विस्तृत होंगे। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी या उप निदेशक चकबंदी द्वारा क्रमशः अपील और पुनरीक्षण का विनिश्चय करते समय की गई कोई भी आनुषंगिक टिप्पणी उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा की गई उस निष्कर्ष के आलोक में महत्वहीन हो जाती है जिसके द्वारा मामले को समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात गुण-दोष पर विनिश्चय के लिए केवल चकबंदी अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, मुझे वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने या चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी और उप निदेशक चकबंदी द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं मिलता है। वर्तमान याचिकाकर्ता को अभी भी चकबंदी अधिकारी के समक्ष मामले का प्रतिवाद करने और सह-अंशधारियों में से एक ललिता देवी की क्रेता के रूप में अपने मामले का बचाव करने का अवसर है। आक्षेपित आदेश में कोई ऐसी अवैधता, विकृतता या निर्बलता नहीं है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित ठहराए। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि याचिकाकर्ता किस प्रकार पूर्वाग्रहित है, अथवा चुनौती के अंतर्गत आदेशों के कारण क्या उसके साथ न्याय की हानि होने की कोई संभावना है, ।

7. परिणामतः, वर्तमान रिट याचिका भ्रामक और गुण-दोष से रहित होने के कारण, लागत का कोई आदेश किए बिना खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



29 जनवरी, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।